

जनपद बाराबंकी

दिनांक-01.02.2023

थाना देवा पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक अदद मोटर साइकिल व 01 किलो 50 ग्राम अवैध गांजा बरामद-

जनपद में पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री दिनेश कुमार सिंह द्वारा अपराध एवं अपराधियों तथा मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के आज दिनांक 01.02.2023 को थाना देवा पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इंटेलीजेंस के आधार पर 01 शातिर चोर-अन्जीत रावत पुत्र कल्लू निवासी सिदवाही थाना देवा जनपद बाराबंकी को देवा मटियारी रोड चचेड़ा पुलिया मोड़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 50 ग्राम अवैध गांजा व चोरी की एक अदद मोटर साइकिल बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना देवा पर मु0अ0सं0 72/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व मु0अ0सं0 73/2023 धारा 41/411/413/414/420 भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह अपने अन्य साथी सरोज रावत जो मोटर साइकिल चोरी में पहले भी कई बार जेल जा चुका है, के साथ मिलकर अलग-अलग जगह से मोटर साइकिल चोरी कर बेचने का काम करते हैं और पकड़े जाने के भय से चोरी किए गए वाहनों के नम्बर प्लेट को बदल देते हैं। अभियुक्त द्वारा अपने अन्य साथी सरोज रावत के साथ मिलकर करीब 02 माह पूर्व थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत बाराबंकी कचेहरी गेट के सामने से उक्त मोटर साइकिल चोरी किया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 1280/2022 धारा 379 भादवि पंजीकृत है। अभियुक्त द्वारा अवैध मादक पदार्थ को जनपद सीतापुर से खरीदा गया था। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त अन्जीत रावत को उक्त मोटर साइकिल को लखनऊ कबाड़ी मार्केट बेचने जाते समय गिरफ्तार किया गया तथा उसके अन्य साथी सरोज रावत की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

अन्जीत रावत पुत्र कल्लू निवासी सिदवाही थाना देवा जनपद बाराबंकी

बरामदगी-

1. 01 किलो 50 ग्राम अवैध गांजा
2. चोरी की एक अदद मोटर साइकिल (फर्जी नं0 यूपी 32 एचपी 1241 व असली नं0 यूपी 41 ई 9711)

पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री पंकज सिंह थाना देवा जनपद बाराबंकी ।
2. उ०नि० श्री शशिकान्त सिंह, उ०नि० श्री राम सिंह थाना देवा जनपद बाराबंकी ।
3. हे०का० शिव बहादुर सिंह, हे०का० रमेश सिंह थाना देवा जनपद बाराबंकी ।
4. का० मुकेश कुमार, का० बलवीर यादव थाना देवा जनपद बाराबंकी।